

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

84 / 2019  
11-11-2019

शंकरलाल पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला  
टोंक राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार उनियारा दिनांक 1-10-2019

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-10-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 1-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1739 वाके ग्राम बिलोता रकबा 0.65 में से 15 फिट चोड़ा रास्ते को छोड़कर शेष रकबा 0.65 है० से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर खड़ी फसल को कब्जा राज लेकर नीलाम करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा को अवगत करवा दिया था कि विवादित आराजियात को लेकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहाँ अपील कर रखी है, जिसमें स्थगन जारी किया हुआ है एवं जब तक इस प्रकरण का निस्ताराण नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है एवं अपीलान्ट व उसके पूर्वजों ने काफी मेहनत व रूपया खर्च करके काबिल काशत बनाया है। इस भूमि में ट्यूबवेल लगा रखा है इस भूमि की नियमन पत्रावली भी विचाराधीन है।



जिला कलेक्टर  
टोंक


भूमि के आस पास के कुछ लोगों ने पटवारी हल्का से मिलकर दुर्भावना पूर्वक झूठी शिकायत की है अपीलान्ट द्वारा कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में भूमि पर तिल की फसल खड़ी हुई है प्रार्थी व उसका परिवार उक्त भूमि की पैदावार पर निर्भर है, खड़ी फसल को कब्जे में लने व नीलाम करने का आदेश गैरकानूनी है तथा निर्णय गलत सादिर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 1739 वाके ग्राम बिलोता रकबा 0.65 है० पर अतिक्रमण कर तिल की फसल काशत की है। अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा व राजस्व अपील अधिकारी टोंक में विचाराधीन प्रकरणों की आड़ में स्थगन बता कर तहसीलदार उनियारा के निर्णय की कार्यवाही रूकवाना चाहता है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा व राजस्व अपील अधिकारी टोंक में विचाराधीन प्रकरण खसरा नम्बर 1739 में से 15 फिट चोड़ा रास्ते से सम्बन्धित है। तहसीलदारा उनियारा द्वारा उक्त रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष रकबा 0.65 है० से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर खड़ी फसल को कब्जा राज लेकर नीलाम करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1739 वाके ग्राम बिलोता रकबा 0.65 में तिल की फसल काशत कर व ट्यूबवेल लगा कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा व राजस्व अपील अधिकारी टोंक में विचाराधीन प्रकरणों में स्थगन बताया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई सबूत दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि भूमि खसरा नम्बर 1739 वाके ग्राम बिलोता रकबा 0.65 पर स्थगन दिया हुआ हो। अपीलान्ट को खसरा नम्बर 0.65 है० सम्पूर्ण रकबे पर अतिक्रमण कर तिल की फसल काशत करने पर से 15 फिट चोड़ा रास्ते को छोड़कर शेष रकबा 0.65 है० से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर खड़ी फसल को कब्जा राज लेकर नीलाम करने का निर्णय पारित किया है जो नियमानुसार किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 1-10-2018 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर

टोक

